

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

::सूचना::

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा के लिए अनुशसित अभ्यर्थियों का दिनांक-27/05/2019 एवं दिनांक-28/05/2019 को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Verification of Certificates) किया गया। उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक-02/07/2019 को अवसर दिया गया, परन्तु अभी भी निम्नलिखित 17 अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है। उक्त सभी अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-31/01/2020 को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन (Verification of Certificates) हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाता है -

दिनांक-31/01/2020 (शुक्रवार)		
10:00 बजे पूर्वाह्न से		
Sl. No.	Roll No	Name
1	2	3
1	168160	ASHUTOSH
2	150279	ABHISHEK KUMAR PANDEY
3	126206	RAVI SHEKHAR
4	122852	YUKTI SHARMA
5	237236	BAL VIBHU
6	129705	ABHINAV KUMAR MISHRA
7	243149	MANISH KUMAR SRIVASTAVA
8	106064	ANJALI
9	208826	MANISH KUMAR SINGH


दिनांक-31/01/2020 (शुक्रवार)		
10:00 बजे पूर्वाह्न से		
Sl. No.	Roll No	Name
1	2	3
10	115602	JAMALUDDIN
11	133594	KALPANU KISHORE
12	122627	AYMAN JAMAL
13	157595	SRISTI
14	325295	LUKESH KUMAR
15	187123	ROSHNI KUMARI
16	157502	SUSHAMA KUMARI
17	128149	SHUDHANSHU KUMAR

इस संबंध में विस्तृत सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट www.lrc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियां की दो-दो स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रतियां अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे -

- (1) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
- (2) इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एव अक पत्र।
- (3) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से सबधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ किया गया हो।
- (4) अगर नियोजित (Employed) हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (5) अनुमडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
- (6) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछडा/अत्यन्त पिछडा वर्ग हेतु)।
- (7) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)
- (8) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- (9) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एव पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में)।
विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- (10) पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो।
- (11) अनुमडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा सभी प्रमाण पत्र सही होने, थाना अथवा न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने एव आचरण प्रतिकूल नहीं होने से सबधित शपथ पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। एतद सबधी विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- (12) प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त 17 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एव अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुन अवसर नहीं दिया जायेगा एव अभ्यर्थित्व समाप्त कर दिया जायेगा।


 (कंचन कपूर),
 सरकार के सयुक्त सचिव,
 राजस्व एव भूमि सुधार विभाग,
 बिहार, पटना।